मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के पंजीयन में संशोधन

श्रम सेवा पोर्टल : http://labour.mp.gov.in

1.प्रयोज्यता	मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाएँ जिनके पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन होना हो जैसे कि नियोजित कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन|
2. आवेदन कब करें?	दुकान / स्थापना के पंजीयन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने के 7 दिवस के भीतर पूर्व में जारी हुए पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं **फार्म - डी (प्रपत्र 'घ')**के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा | नियत अवधि के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत करने पर समझौता शुल्कलिया जायेगा |
3. पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएँ	श्रम सेवा पोर्टल पर दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के पंजीकरण हेतु निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध है : ⇨ नवीन पंजीयन(New Registration) ⇨ पंजीयन जानकारी में संशोधन(Amendment in Registration Only)
4. आवेदन कहाँ करें?	श्रम सेवा पोर्टल पर **पंजीयन जानकारी में संशोधन हेतु** : ऑनलाइन पंजीकरण/लाइसेंस सेवाएं→दुकान एवं स्थापना अधिनियम→**Amendment in Registration Only**पर आवेदन दर्ज करें |
5. आवेदनप्रक्रिया	श्रम-सेवा पोर्टल पर उपलब्ध दुकान एवं स्थापना अधिनियम मॉडयूल में जानकारी दर्ज कर, आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें| ⇨ यदि पंजीयन पूर्व में ऑफलाइन किया गया है तो प्रथम बार ऑनलाइन सुविधा हेतु आवेदन में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज जो नवीन पंजीयन में उपलब्ध कराये गए थे पोर्टल पर अपलोड करने होंगे (आवश्यक दस्तावेजों की सूची देखें) | तत्पश्चात नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन करने हेतु मात्र मूल दस्तावेज की ही आवश्यकता होगी | **अथवा** ⇨ यदि पूर्व में पंजीयन ऑनलाइन किया गया था तो पूर्व में दिए हुए

	डॉकेट नंबर एवं पासवर्ड डालें | पूर्व की पंजीयन जानकारी पोर्टल पर दिखाई देगी तथा पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे |
6. आवश्यक दस्तावेज	**दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करें :** ✓ **<u>यदि पंजीयन ऑनलाइन अर्थात सितम्बर 2013 के बाद हुआ है</u>** यदि पूर्व में पंजीयन ऑनलाइन किया गया था तो आवेदन दायर करते समय दिए गए डॉकेट नंबर एवं पासवर्ड से पंजीयन सम्बन्धी जानकारी पोर्टल पर दिखाई देगी | तदुपरांत दस्तावेज क्रमांकक्रमांक 1,2,7 तथा 8 ही आवश्यक होंगे | ✓ **<u>यदि पंजीयन ऑफलाइन अर्थात सितम्बर 2013 के पूर्व हुआ है</u>** पहली बार ऑनलाइन नवीनीकरण हेतु आवेदक को जानकारी पूर्ण कर निम्नलिखित दस्तावेज क्रमांक 1,2,3,4,5,6 तथा 7अपलोड करने होंगे |तदुपरांत संशोधन हेतुदस्तावेज क्रमांक 1,2,7तथा 8 ही आवश्यक होंगे | ----x------------------x-----------------x----------------x---------------x------- 1. पोर्टल में जानकारी भर**save details and upload submit supporting documents**पर क्लिक करें | उपरोक्त भरी हुई जानकारी के आधार पर आवेदन फॉर्म जनरेट होगा पेज के बाएँ तरफ (Download Application Form-A) पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें| आवेदन फॉर्म को हस्ताक्षरित करस्कैन कर लें| यह फॉर्म Signed and Scanned Copy of Application की श्रेणी में पोर्टल पर अपलोड करें |(**PDF** फॉर्मेट) 2. <u>निर्धारित पंजीयन शुल्क</u> (तथा आवेदन में विलम्ब की दशा में समझौता शुल्क)जमा कर सम्बंधित बैंक चालान / सायबर ट्रेज़री रसीद की प्रति।(**PDF** फॉर्मेट) 3. आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साईज फोटो।(**JPG** फॉर्मेट) **अथवा** आवेदनकर्ता संस्थान हो तो संस्थानप्रबंधक का पासपोर्ट साईज फोटो।(**JPG** फॉर्मेट) 4. आवेदनकर्ता का फोटो परिचयपत्र / वोटर आई डी / आधार कार्ड / ड्रायविंग लाईसेन्स / पासपोर्ट या पेन कार्ड में से **<u>किसी एक की प्रति</u>** ।(**PDF** फॉर्मेट) 5. दुकान एवं स्थापना के स्थान व पते के प्रमाणीकरण हेतु दुकान एवं स्थापना का किरायानामा / विध्युत देयक / टेलीफोन बिल / ओनरशिप डीड / पार्टनरशिप डीड / मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन में से **<u>किसी एक की प्रति</u>** ।(**PDF** फॉर्मेट)

	नोट : परिवार के अन्य सदस्य के नाम पते का प्रमाण होने पर सहम्मति-पत्र सहित 6. दुकान / स्थापना का फोटोग्राफ जिसमें दुकान / स्थापना की नाम पट्टिका प्रदर्शित हो। (**JPG** फॉर्मेट) 7. पूर्व में जारी हुआ पंजीयन प्रमाण पत्र | (**PDF** फॉर्मेट) 8. पूर्व के पंजीयन प्रमाण-पत्र के परिवर्तन संबंधी प्रविष्टियों के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज की प्रति के साथ **फार्म - डी (प्रपत्र 'घ')**की जानकारी भर ,हस्ताक्षर की हुई स्कैन कॉपी (**PDF** फॉर्मेट)
7. आवेदन की स्थिति	जमा किये हुए आवेदन की दो स्थितियां हो सकती है : - आवेदन पर स्वीकृति **या** - आवेदन पर आपत्ति उपरोक्त किसी भी स्थिति में आवेदनकर्ता को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा सूचित किया जायेगा |
8. पंजीयन में संशोधन शुल्क	यदि नियोजित कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन होने पर पंजीकरण शुल्क कर्मचारियों की संख्या में अंतर के लिए नए पंजीकरण के रूप में लागू होगा |
9. शुल्क जमा करने की विधि	(i) **बैंक चालान द्वारा:** निर्धारित हेड में बैंक चालान द्वारा राशि जमा कर चालान की प्रति से विवरण आवेदन में दर्ज करें। **ट्रेज़री हेड :** **0230 - श्रम एवं नियोजन** **00 -** **101 - श्रम विधियों के अंतर्गत प्राप्तियाँ** **101 - म.प्र दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत प्राप्तियाँ** **अथवा** (ii) **साईबर कोषालय(Cyber Treasury) के माध्यम से**: ऑनलाईन **साईबर कोषालय(Cyber Treasury)** के पोर्टल पर श्रम विभाग के अंतर्गत निर्धारित हेड में राशि जमा कर सायबर ट्रेज़री रसीद की प्रति से आवश्यक प्रविष्टियाँ आवेदन में दर्ज करें। **सायबर ट्रेज़री हेड :** **0230-00-101-101-Receipts under Shops and Establishments Act 1958**
10.समय सीमा	श्रम विभाग द्वारा ईज-ऑफ-डूइंग बिज़नेस के अंतर्गत दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन हेतु आवेदनों पर कार्यवाही **1 कार्य** दिवस में पूर्ण की जानी है | लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन जमा(आवश्यक दस्तावेजों सहित)

	होने की दिनांक से 30 कार्य दिवस के अन्दर कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है| यदि कोई कार्यवाही उक्त समय-सीमा में नहीं की जाती है तो अपील करने का प्रावधान है |
11.अपील	आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर अथवा आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर निम्नानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपील की जा सकेगी:- ⇨ *प्रथम अपील अधिकारी:* **संबंधित जिला कलेक्टर।** प्रथम अपील के निराकरण के लिए निश्चित समय-सीमा:30 कार्य दिवस। ⇨ *द्वितीय अपील प्राधिकारी:* **संबंधित संभागीय आयुक्त।**
12.प्रमाणपत्र किस प्रकार प्राप्त होगा	आवेदक का पंजीयन प्रमाण पत्र जनरेट होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **SMS** द्वारा सूचित किया जाएगा | आवेदक अपना प्रमाण पत्र श्रम-सेवा पोर्टल पर पूर्व में भेजे गए डॉकेट नंबर तथा पासवर्ड की मदद से देख सकते हैं |
13. डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन	आवेदक यदि चाहे तो स्वयं की संतुष्टि के लिये डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी में डिजिटल हस्ताक्षर पर क्लिक करें।

ध्यान देने योग्य बातें :

- पंजीयन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है अतः कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
- आवेदन करते समय सही मोबाइल नंबर भरें, यही मोबाइल नंबर श्रम सेवा पोर्टल पर रजिस्टर्ड माना जाएगा तथा अग्रिम संपर्क/सूचना हेतु उपयोगी होगा|
- आवेदन करते समय आवेदक/प्रबंधक का आधार नंबर डालना अनिवार्य है|
- आवेदन के उपरांत दिए गए **डॉकेटनंबर** तथा **पासवर्ड** को आगामी सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखा जाए|
- आवेदन में यदि आवश्यक दस्तावेज तथा जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो आवेदनको जिला कार्यालय द्वारा आपत्ति में डाला जाएगा| आपत्तिजारी होने पर आवेदनकर्ता को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **SMS**द्वारा सूचित किया जाएगा|
- यदि आवेदन पर आपत्ति जारी हुई है, तो कृपया नवीन आवेदन समान त्रुटिपूर्ण जानकारी के साथ न दायर करें तथा एक बार में ही आपत्ति के कारणों का अनुपालन करें अन्यथा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है |
- प्रक्रिया सम्बन्धी किसी भी समस्या के निराकरण हेतु सम्बंधित जिला कार्यालय में संपर्क करें |

शुल्क संरचना

पंजीयन जानकारी में संशोधन हेतु शुल्क (धारा 7 के अंतर्गत) :

क्र.	नियोजित कर्मचारियों की संख्या	शुल्क	समझौता शुल्क, यदि जानकारी में संशोधन के 7 दिवस के अन्दर आवेदन नहीं हो
1	0	रूपये 10	रूपये 100
2	1 से 3	रूपये 25	रूपये 150
3	3 से अधिक तथा 10 से कम	रूपये 40	रूपये 200
4	10 से अधिक	रूपये 50	रूपये 500

पंजीयन/समझौता शुल्क (धारा 6(2) के अंतर्गत):

क्र.	नियोजित कर्मचारियों की संख्या	शुल्क	समझौता शुल्क, नियत अवधि के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत किया हो (30 दिवस के पश्चात्)
1	0	रूपये 100	रूपये 100
2	1 से 3	रूपये 150	रूपये 150
3	3 से अधिक तथा 10 से कम	रूपये 200	रूपये 200
4	10 से अधिक	रूपये 250	रूपये 500

विलम्ब तथा समझौता शुल्क गणना :

क्र.	समयावधि (कैलेंडर वर्ष आधारित)	शुल्क
1	01 दिसम्बर के पूर्व देय शुल्क	0 समझौता शुल्क
2	01 दिसम्बर से 28 फरवरी तक देय शुल्क	10
3	28 फरवरी के उपरांत देय शुल्क	10+चक्रवृद्धि

- पंजीयन में संशोधन हेतु शुल्क बैंक चालान या सायबर ट्रेज़री रसीद द्वारा ही जमा करायी जा सकती है।
- लोक सेवा गारंटी अधिनियमके तहत् आवेदक लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी आवेदन दर्ज कर सकते हैं, लोक सेवा केंद्र भी श्रम सेवा पोर्टल से ही आवेदन दर्ज करेंगे | पंजीयन शुल्क राशि आवेदक व्दारा बैंक चालान/सायबर ट्रेज़री रसीद के माध्यम से जमा कराकर मूल प्रति लोक सेवा केन्द्र को उपलब्ध कराएँगे (जिसे लोक सेवा केन्द्र व्दारा स्केन कर अन्य दस्तावेजों के साथ वेबसाईट पर अपलोडकिया

जायेगा) अथवा लोक सेवा केन्द्र व्दारा उपरोक्तानुसार राशि आवेदक से नकद जमा कराकर आवेदक को रसीद जारी की जायेगी।

- लोक सेवा केंद्र द्वारा भी विभाग के हेड ‘‘0230 श्रम एवं रोजगार‘‘101 श्रम विधियों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत जमा करायी जायेगी।
- लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में लोक सेवाकेन्द्र द्वारा अतिरिक्त 30/-रूपयेप्रति आवेदन पत्र सेवा शुल्क लिया जायेगा।
- एम.पी ऑनलाइन केओस्क के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में केओस्क द्वारा अतिरिक्त 20/-रूपये प्रति आवेदन पत्र सेवा शुल्क लिया जायेगा।

फार्म- डी (प्रपत्र 'घ')

(देखिये नियम 7)

परिवर्तन सूचना

पूर्व पंजीयन क्रमांक / डॉकेट नंबर	
पंजीयन दिनांक	
स्थापना का नाम	
स्थापना का पूरा पता	
आवेदक का नाम	
मालिक/ प्रबंधक का नाम	

सेवा में,

निरीक्षक, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958

निवेदन है कि उपर्युक्त पंजीयन प्रमाण-पत्र में पूर्व में मेरे द्वारा दी गई जानकारी (1) में निम्नलिखित कॉलम क्रमांक (2) अनुसार परिवर्तन करने की कृपा करें।

(1) पूर्व में पंजीयन प्रमाण-पत्र में दर्ज जानकारी	**(2) नवीन परिवर्तित जानकारी**

स्थान.................................

दिनांक.................................

आवेदक के हस्ताक्षर